

the banks in collusion with the Custodians or otherwise because all the items of assets etc. in which secret reserves have been accommodated, form part of the undertaking of the erstwhile banks taken over by the nationalised banks.

मध्य प्रदेश विजली बोर्ड को जीवन बीमा निगम
द्वारा छूट देने के लिये बन्धक-पत्र
का मरा जाना

* 1257. श्री हुसम चन्द कथ्याय :
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्रीमती विनीमाता अगम दासगुहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विजली बोर्ड को छूट देने के लिये, जीवन बीमा निगम ने केवल पत्र भरने पर जोर दिया है जब कि राज्य सरकार गारन्टी देने के लिये तैयार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे विजली उत्पादन करने के लागत में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मध्यप्रदेश विजली बोर्ड को बन्धक पत्र में भरने की छूट देने का है?

वित्त मंत्रालय में मंत्री और पूर्णि राज्य मंत्री (श्री २० के० खाडिलकर) : (क) जो है। राज्य विद्युत बोर्डों को जीवन बीमा निगम द्वारा छूट अपनी बन्धक योजना के अन्तर्गत ही दिये जाते हैं।

(ख) इसके कारण, विद्युत उत्पादन की लागत वृद्धि नगण्य होती है, क्योंकि बन्धक पत्र में लगने वाला व्यय छूट की बीस वर्ष की वृद्धि में बैंट जाता है, और स्वीकृत छूट की रकम की तुलना में तुच्छ होता है।

(ग) जो, नहीं।

करों की ओरी तथा तस्करी के आरोप में सजा पाये व्यक्तियों की सूची

* 1258. श्री जनेश्वर मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन लोगों की सूची बना रखी है जिनको करों की ओरी तथा तस्करी के आरोपों में सजा हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस सूची को राजनीतिक दलों में वितरित करने का है जिससे ये लोग राजनीतिक दलों के साथ सम्बन्ध स्थापित न कर सकें; और

(ग) उन राजनीतिक दलों की संस्था कितनी है जिनके सदस्यों का ऐसे सजा पाये गये व्यक्तियों के साथ संबंध हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जो व्यक्ति कर-अपवंचन अथवा तस्कर व्यापारों के आरोपों में न्यायालय से सजा पाते हैं, उनका रिकाउं सरकार के संबंधित विभाग अपने सामान्य कार्य के सिलसिले में रखते हैं।

(ख) कर-अपवंचन अथवा तस्कर व्यापार के आरोपों में सजा पाने वाले व्यक्तियों के नामों की सूचियों को राजनीतिक दलों में वितरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जिन व्यक्तियों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा, कर-अपवंचन अथवा तस्कर व्यापार के आरोप लगाये जाते हैं, उनके राजनीतिक संबंधों की तहकीकात करना राजस्व अधिकारियों की द्व्यूटी में शामिल नहीं है और ऐसा करना उनके कार्य के लिये आवश्यक भी नहीं है।